न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– ओम कसेरा , I.A.S.

प्रकरण संख्या –101/2019 (अपील)

द्वारकालाल पुत्र अमरलाल जाति काछी निवासी बोरखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज.)

–अपीलाण्ट.

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा कोटा

–––रेसपोडेन्ट.

अपील बनाराजी आदेश न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा दिनांक 2.5.2019 अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956,

उपरिथति

1. श्री चन्द्रमोहन शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक– 17.03.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील लाडपुरा के नामा0 सं0 257 दिनांक 02.05.2019 में दिनांक 21.5.2019 का आदेश कि "पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनरावलोकन किया जाकर नामा0 खारिज किया जाता है । न्यायालय का स्थगन हटने पर नवीन नामा0 भरकर पेश करें ।" बाबत आदेश पारित किया गया ।

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 08.11.2019 को पेश कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक किये गये नामान्तकरण सं0 257 को बिना किसी विधिक अधिकार व कानूनी प्रकिया के बिना मात्र यह कहते हुये कि उक्त प्रकरण में उच्च न्यायालय जयपुर में प्रकरण सं0 790/2005 से साफैसला प्रकरण स्थगन आदेश जारी किया हुआ है, उक्त पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक किये गये इन्तकाल को खारिज करने में त्रुटि की है । खातेदार नन्दलाल पुत्र धूलीलाल जाति काछी निवासी बोरखेडा कोटा द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में रजि0 वसीयत 12.1.2004 को आलेखित करवाई गई थी तथा उक्त वसीयत के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में 28.4.2019 को ही नामान्तकरण तस्दीक किया जाकर उक्त नामान्तकरण का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होकर अपीलान्ट का नाम खाते में अंकित हो चुका था । अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि पत्रावली में जो स्थगन आदेश पेश हुआ है वह पत्रावली सं0 790/2005 का जो भी काफी देरी से अधीनस्थ न्यायालय में पेश हुआ उक्त स्थगन आदेश का हवाला देते हुये अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीकशुदा नामान्तकरण को निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है, जब कि केवल मात्र

... न्यायालय गौर नहीं फरमाया कि अपीलान्ट के पक्ष स्व0

Scanned by CamScanner

राजस्व रिकार्ड में स्थगन आदेश होने बाबत ही नोट अंकित किया जा सकता था जबकि कानून की मन्शा के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का मौका दिये बिना ही अपीललान्ट के पक्ष में तस्दीकशुदा नामान्तकरण सं0 257 को निरस्त करने में त्रुटि की है जिसका कि उन्हें अधिकार नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय को यदि अपना आदेश रिव्यू करना था तो पहले अपीलान्ट को सूचना देकर सुनवाई की जाकर पूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के बाद कोई आदेश दिया जा सकता था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं करके कानूनी त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय पूर्ण रूप से पूर्व में पटवारी हल्का की रिपोर्ट तलब कर उक्त रिपोर्ट के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक किया है जिसको नाम मात्र से किसी पक्ष द्वारा पूर्व स्थगन आदेश लाकर काफी देरीना पेश करने मात्र से नामान्तकरण को खारिज नहीं किया जा सकता केवल उक्त इन्तकाल व राजस्व रिकार्ड में उक्त स्थगन आदेश का नोट अंकित किया जा सकता था । उक्त प्रकरण में 2005 के बाद क्या कार्यवाही हुई आया उक्त प्रकरण लंबित है या नहीं या उक्त स्थगन आदेश प्रभावशील है या नहीं इस तथ्य की जानकारी प्राप्त किये ही अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील प्रदान करने में कानूनी त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय जैर अपील निरस्त किया जावें तथा नामान्तकरणर सं0 257 यथावत कायम रखे जाने का आदेश प्रदान किया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । वकील अपीलांट व पेरोकार सरकार उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराया और कथन किया कि खातेदार नन्दलाल पुत्र धूलीलाल जाति काछी निवासी बोरखेडा कोटा द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में रजि0 वसीयत 12.1.2004 को आलेखित करवाई गई थी तथा उक्त वसीयत के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में 28.4.2019 को ही नामान्तकरण तस्दीक किया जाकर उक्त नामान्तकरण का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होकर अपीलान्ट का नाम खाते में अंकित हो चुका था । अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि पत्रावली में जो स्थगन आदेश पेश हुआ है वह पत्रावली सं0 790/2005 का जो भी काफी देरी से अधीनस्थ न्यायालय में पेश हुआ उक्त स्थगन आदेश का हवाला देते हुये अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीकशुदा नामान्तकरण को निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है,जब कि केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में स्थगन आदेश होने बाबत ही नोट अंकित किया जा सकता था जबकि कानून की मन्शा के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का मौका दिये बिना ही अपीललान्ट के पक्ष में तस्दीकशुदा नामान्तकरण सं0 257 को निरस्त करने में त्रुटि की है जिसका कि उन्हें अधिकार नहीं था । अधीनस्थ न्यायालय को यदि अपना आदेश रिव्यू करना था तो पहले अपीलान्ट को सूचना देकर सुनवाई की जाकर पूर्ण तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के बाद कोई आदेश दिया जा सकता था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नहीं करके कानूनी त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय जैर अपील निरस्त किया जावें तथा नामान्तकरणर सं0 257 यथावत कायम रखे जाने का आदेश प्रदान किया जावें ।

5. हमने वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में पटवारी हल्का द्वारा खोला गया नामान्तकरण सं0 257 को दिनांक 2.5.2019 को स्वीकृत कर दिया

Scanned by CamScanner

गया था, किन्तु पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 20.5.2019 के मुताबिक उक्त प्रकरण में उच्च न्यायालय जयपुर में प्र.सं.0 790/2005 से ताफैसला स्थगन होने से नामा0 खारिज हेतु रिपोर्ट की जाने पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 21.5.2019 को उक्त नामान्तकरण खारिज किया जाकर स्थगन हटने पर नवीन नामा0 भरकर पेश करने हेतु आदेश पारित किया गया । वकील अपीलांट द्वारा ऐसा कोई आदेश/दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो सकें कि उक्त प्रकरण से सम्बन्धित कोई स्थगन माननीय उच्च न्यायाललय जयपुर का प्रभावी नहीं है तथा जिसके आधार पर अपील स्वीकार की जा सकें । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामा0 सं0 257 ग्राम रामचन्द्रपुरा को आदेश दिनांक 21.5.2019 से खारिज करने की कार्यवाही में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझतें है ।

8. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है ।

9. निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner